

29-04-2024

एम.सी.ए.162 / 22

अपीलार्थी या उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं।
प्रत्यर्थागण अनिवारित।

प्रकरण प्रत्यर्थागण की उपस्थिति हेतु नियत है।

प्रकरण में प्रत्यर्थागण अनुपस्थित, उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं।

अपीलार्थी को भी कई बार पुकार लगाये जाने पर भी उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि आदेश दिनांक 04.07.2023 के पालन में अपीलार्थी द्वारा तलबाना प्रस्तुत किया गया था किंतु उसके पश्चात अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थागण की उपस्थिति हेतु कोई तलबाना प्रस्तुत नहीं किया है। आज के पूर्व दो पेशियों से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। आज भी कोई उपस्थित नहीं है। जिससे दर्शित होता है कि अपीलार्थी प्रकरण चलाने में रुचि नहीं ले रहा है। आज अपीलार्थी या उसकी ओर से कोई उपस्थित भी नहीं हुआ है, अतः प्रकरण अपीलार्थी की अनुपस्थिति के कारण निरस्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर, अभिलेख अभिलेखागार में जमा किया जावे।

(धीरेंद्र सिंह परिहार)
19वे जिला न्यायाधीश,
ग्वालियर, म.प्र.